पैकबंद वस्तुओं के निर्माता / आयातकर्ता / पैककर्ता का पंजीयन करने के संबंध में आवेदन

(विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अंतर्गत)

चरण-1	**आवेदन कब करें ?** पैकबंद वस्तुओं के विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु का निर्माण / आयात / पैकिंग कार्य प्रारंभ करना चाहता है।
चरण-2	**आवेदन कौन कर सकता है ?** पैकबंद वस्तुओं के विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु का निर्माण / आयात / पैकिंग कार्य करने वाले व्यक्ति।
चरण-3	**आवेदन में समाहित की जाने वाली जानकारी** विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27(2) में उल्लेखित विवरण अनुसार निम्न जानकारी आवेदन में सम्मिलित की जाना है – **1.** आवेदक का नाम; **2.** उस परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा वस्तु का निर्माण / आयात / पैकिंग कार्य किया जाता है। **3.** आवेदक द्वारा निर्माण / आयात / पैकिंग की गई वस्तु या वस्तुओं के नाम।
चरण-4	**अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)** **1-** पैकेज पर की जा रही समस्त घोषणाओं का विवरण दर्शाने वाला अभिलेख। **ब- आवेदन के साथ वैकल्पिक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)** **1-** स्थापना का पंजीयन – पत्र की प्रति। **2-** बिजली के बिल की प्रति।

चरण-5	**आवेदन के साथ शुल्क ?** आवेदन के साथ विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 27 (1) में उल्लेखित निर्धारित शुल्क राशि 500/- रूपये ।
चरण-6	**शुल्क कैसे जमा करें ?** ऑन लाईन आवेदन करते समय उपलब्ध Link से
चरण-7	**आवेदन कैसे करें ?** ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ------ **STEP - 1 :** http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=vnMknkTgAac= Link पर Click करें.
चरण-8	**अनुमोदन की समय-सीमा ?** ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में – • पैकर का पंजीयन - 07 कार्य दिवस के अंदर
चरण-9	**पैकर पंजीयन होने के पश्चात, आवेदक पंजीयन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेगा ?** STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : इसके पश्चात पंजियन आवेदन खोजें पर click करे.
चरण-10	**अपीलीय अधिकारीः-** **नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल** अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।
चरण-11	**डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापनः-** STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जांचे पर click करे

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक :- 34.19

आवेदन द्वारा पैकर पंजीयन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र पर नापतौल (विधिक मापविज्ञा), विभाग द्वारा निरिक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट -:

आवेदन द्वारा वेबसाइट www.mpedistrict.gov.in के द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुस्त किया गया आवेदन पत्र

↓

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों का परिक्षण किया जाना	समय सीमा 4 दिवस

↓

आवेदन स्वीकृति योग्य पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नोटशीट व पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जो आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा	आवेदन अमान्य होने की स्तिथि में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नोटशीट व अमान्य करने का कारण देते हुए आवेदन अस्वीकार किया जावेगा जो आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा
समय सीमा 3 दिवस	समय सीमा 3 दिवस

आवेदन निराकरण की कुल समय सीमा
7 दिवस